न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 387/2016 निर्णय दिनांक :–15.11.19

उनवानी प्रा. पत्र

1. रामधन पुत्र कुरा जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. जुगराज सिहं पुत्र जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. जयसिहं पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. सुगना पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. राधाकिशन पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. दुर्गालाल पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
7. रामनारायण पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
8. अर्जुन सिंह पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
9. श्योराज पुत्र केसरलाल जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
10. रामरतन पुत्र केसरलाल जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.
11. लालाराम पुत्र केसरलाल समस्त जाति मीणा निवासीयान ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक राज.

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोकं राज.
2. राकेश पुत्र री श्योजी जाति मीणा निवासी राजकोट तह. देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री राजेश जैन
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण भूमि खसरा नं0 2517, 2518, 2521, 2522, 2523, 1093, 1094, 1096, 1097, 1065 वाके ग्राम राजकोट तहसील देवली जिला टोंक खातेदार, काश्तकार होकर काबिज है।

आवेदकगण की खातेदारी की उक्त भूमि के उत्तर दिशा की तरफ ही खसरा नं0 1100, 1102, 1103, 1110 सिवाईचक स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड मे सिवाईचक दर्ज है तथा जिसका विपक्षी भूमिधारको पर अभिधारी है तथा उक्त भूमि विपक्षी के खातेदारी की भूमि है। आवेदकगण अपनी खातेदारी की भूमि मे आने के लिये उक्त सिवाईचक भूमि मे से रास्ते का उपयोग उपभोग करते है। उक्त रास्ते को आवेदन पत्र के साथ संलग्न नक्शाशीट मे डोट, डोट लाईन से प्रदिर्शित किया गया है, उक्त खसरा नं. 1100 की उत्तर दिशा की तरफ मेड तक खुलासा है तथा इसके पश्चात संलग्न नक्शे मे दर्ज लाईन खसरा नं. 1103 तक जो रास्ता दर्शाया गया है। उक्त रास्ते को आये दिन इन खेतो पर अतिक्रमण करने वाले ग्राम राजकोट के ही श्योजी, राकेश, राजी, रोशन, राजेश, कैलाशी वगैरह जाति मीणा बन्द कर देते है तथा आवेदकगण द्वारा उपयोग उपभोग मे लिये जाने वाले उक्त रास्ते मे हस्तक्षेप करते है तथा उक्त व्यक्तियो की स्थिति इस जमीन पर अतिक्रमी के सिवा कुछ नही है तथा अतिक्रमी सदैव अतिक्रमी ही रहता है उसका अतिक्रमण की हुई जगह मे कोई अधिकार उत्पन्न नही होता। उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल नही होने से उक्त अतिकर्मी आये दिन आवेदकगण के आवागमन मे परेशानी व बाधा उत्पन्न करते है तथा आवेदकगण के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक या सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है तथा उक्त जमीन का विपक्षी अभिधारी है तथा आवेदकगण की खातेदारी मे कृषि कार्य के लिये आने जाने मे उक्त रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिये उक्त नक्शे मे दर्शायी गई लाईन की जंगह को रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त रास्ता लगभग 30 फिट चौडा होना आवश्यक है तथा रास्ते के उपयोग मे आने वाली जगह की एवज मे आवेदकगण विपक्षी को प्रतिकार का संदाय करने को भी तैयार एवं तत्पर है। आवेदकगण को यदि उक्त रास्ता नही दिया गया तो आवेदकगण को भारी असुविधा होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप मे नही की जा सकती क्योकि आवेदकगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है तथा रास्ते के लिये आवेदकगण को आत्यंतिक आवश्यकता है तथा उक्त जगह रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अमल होने पर आवेदकगण को आये दिन होने वाली परेशानीयो से निजात भी मिल जायेगीं।

अप्रार्थीगगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब दिनांक 23.03.17 व मौका रिपोर्ट दिनांक 11.07.18 पेश की गई। जवाब व मौका रिपोर्ट में तारतम्य नहीं होने के कारण पुनः हाल मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.19 ली गई जिसके अनुसार तहसीलदार देवली द्वारा दिनांक 02.11.19 को मौका निरीक्षण करने के उपरान्त रिपार्ट इस प्रकार हैः—प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी ख. नं. 2517, 2518, 2521, 2522, 2523, 1093, 1094, 1096, 1097, 1065 तक पहुंचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में ख. नं. 2955/1085, 2956/1088, 2957/1089, 2958/1091 में से रास्ता उपलब्ध है। उक्त रास्ता लगभग एक किलामीटर घुमाव में होने के कारण प्रार्थीगणों को असुविधा होना अवगत कराया गया। प्रार्थीगण ख. नं.

1100, 1102, 1103, 1110, 1124, 1099 में से रास्ता चाहते है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते से बिल्कुल छोटा एवं सीधा है। इस प्रकार प्रार्थीगणो को आराजी तक पहुंचने के लिए उपरोक्तानुसार रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण को सुविधाजनक उपयोग के लिए आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रस्तावित रांस्ते की चौड़ाई 6 मीटर एवं लम्बाई 515 मीटर है जिसका क्षैत्रफल 3090 वर्ग मीटर है। रास्ते चाहे जाने वाले कृषि भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर 7,62,300 रूपये प्रति हैक्टेयर है। दुगनी दर से प्रतिकर राशि 4,71,102 रूपये होगी। आवेदको की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण ख. नं. 1100, 1102, 1103, 1110, 1124, 1099 में से रास्ता चाहता है जो मुताबिक रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। नक्शा ट्रेस में लाला स्याही से ए से बी निन्हित कर दिया गया है। वर्तमान में खातदारी भूमि के लिए ख. नं. 2955/1085, 2956/1088, 2957/1089, 2958/1091 गै. मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है जो प्रार्थीगण की खातेदारी तक जाता है। उक्त रास्ता लम्बा होने से प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है जिसे लाल स्याही से सी से डी दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़, दीवार आदि नहीं है। प्रस्तावित भूमि ख. नं. 1100, 1102, 1103, 1110, 1124, 1099 सिवायचक दर्ज है। सिवायचक होने से भूमि राजकीय है। संलग्न–1. भू. अभि. नि. चांदली की मौका रिपोर्ट 2. नक्शा ट्रेस की नकल 3. जमाबन्दी की नकल तीन प्रति में, 4. वर्तमान डी.एल.सी दर की प्रति।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश जैन ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि में सिवायचक भूमि में से रास्ता देने बाबत पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक के यहां भी अप्रार्थी व अन्य के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अ0 धारा 54 राज0 भू. राजस्व अधि0 के तहत पेश कर रखा है। प्रार्थीगण के खेतो में जाने के लिये राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में ही रास्ता वर्णित है। ग्राम पंचायत राजकोट द्वारा पंचायत स्तर पर पूर्व में सिवायचक भूमि ख. नं. 1088, 1089, 1090, 1091 में रास्ता निकालने को प्रस्ताव लेने पर श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नक्शा शीट में 35 फीट चौड़ाई का रास्ता संम्बन्धित खेतो में जाने के लिये दिया जाकर नक्शा शीट में रास्ते को तरमीम भी कर दिया गया। प्रार्थीगण के खेतों में जाने के लिये मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपने खेतो में आ–जा रहे है। कानून की भी यही मन्शा है कि यदि किसी खेत में जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तो ही नया रास्ता खेतो में आने जाने का रास्ता दिया जाता है परन्तु प्रार्थीगण के खेतों में आने–जाने का रास्ता होने के उपरान्त भी गलत तथ्य पेश करते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण खसरा नं0 2517, 2518, 2521, 2522, 2523, 1093, 1094, 1096, 1097,

1065 के खातेदार काबिज काश्तकार है और अपनी खातेदारी की आराजी में आने–जाने के लिए वर्षो से ख. नं. 1100, 1102, 1103, 1110, 1124, 1099 का उपयोग करते आ रहे है और यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। सिवायचक होने से भूमि राजकीय है। परन्तु इस भूमि पर राजकोट के ही राकेश वगै. ने अतिक्रमण कर रखा है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी भूमि में आने जाने में परेशानी आती है, आये दिन उक्त अतिक्रमियो से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अतः उक्त सिवायचक भूमि में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि से 251 क के प्रावधानो के अनुसार रास्ता दिये जाने पर आये दिन का लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। इसके लिए प्रार्थीगण वर्तमान डी. एल.सी दर की दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में जवाब को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है। ग्राम पंचायत राजकोट द्वारा पंचायत स्तर पर पूर्व में सिवायचक भूमि ख. नं. 1088, 1089, 1090, 1091 में रास्ता निकालने को प्रस्ताव लेने पर श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नक्शा शीट में 35 फीट चौड़ाई का रास्ता संम्बन्धित खेतो में जाने के लिये दिया जाकर नक्शा शीट में रास्ते को तरमीम भी कर दिया गया सभी ग्रामवासी अपने अपने खेतो में जाने के लिए इस तरमीम युक्त रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। तहसीलदार देवली की हाल मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.19 के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी ख. नं. 2517, 2518, 2521, 2522, 2523, 1093, 1094, 1096, 1097, 1065 तक पहुंचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में ख. नं. 2955/1085, 2956/1088, 2957/1089, 2958/1091 में से रास्ता उपलब्ध है। उक्त रास्ता लगभग एक किलामीटर घुमाव में होने के कारण व अप्रार्थीगण राकेश वगै. से आपसी रंजिश के कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि प्रार्थीगणो को आराजी तक पहुंचने के लिए उपरोक्तानुसार रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण को सुविधाजनक उपयोग के लिए आवश्यकता आत्यन्तिक है। धारा 251 क के अन्तर्गत सुविधाजनक उपयोग व छोटे व सीधे रास्ता देने हेतु प्रावधान नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में यह भी प्रावधान है कि जब पूर्व में रास्ता उपलब्ध हो तो रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने रिब्टल बहस में कथन किया कि राजकोट ग्राम की स्थिति ऐसी है कि यह पहाड़ियो से घिरा हुआ ग्राम है ओर जो पूर्व रास्ता दिया गया है वह पहाड़ियों में से होकर आता जाता है और इस रास्ते में पत्थर पडे हुए है जिससे कोई साधन अपने खेतो में ले जाने में दिक्कत होती है। मांगा गया रास्ता सिवायचक भूमि में से है इसमें किसी को कोई आपति नहीं होनी चाहिए।

तहसीलदार देवली ने कोई बहस नहीं की।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार खातेदारी आराजी ख. नं. 2517, 2518, 2521, 2522,

2523, 1093, 1094, 1096, 1097, 1065 तक पहुंचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में ख. नं. 2955/1085, 2956/1088, 2957/1089, 2958/1091 में से रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण सुविधाजनक उपयोग के लिए, छोटे व सीधे रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगणो को आराजी तक पहुंचने के लिए उपरोक्तानुसार रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण को सुविधाजनक उपयोग के लिए आवश्यकता आत्यन्तिक है। तहसीलदार देवली की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं है। क्योंकि अन्य रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है। धारा 251 क के अन्तर्गत कोई भी रास्ता खातेदारी की आराजी तक उपलब्ध नही होने पर ही रास्ता दिलवाये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अनुरूप नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली